संख्या-02/2022/130/002-83-1002-2-2021

प्रेषक,

राजन शुक्ला,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त सचिव,

होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग,

लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊः दिनांक 12 अप्रैल, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231-/2022 दिनांक 30.12.2021 व शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29.03.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माह के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27 के 2070-अन्य प्रशानिक सेवायें-106 सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना-0301-सामान्य के अन्तर्गत रू0-24.85 लाख अर्थात रू0- 24,85,000/- (रू0 चौबीस लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि, जिसका शीर्षक एवं मदवार विवरण संलग्न है, को वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु वित्त विभाग के उक्त शासनादेश व कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) उक्त के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि जब तक अतिरिक्त धनराशि की कोई व्यवस्था न हो, प्रदर्शित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न की जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

(3) यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि
1	027	2070001060301 सामान्य	01 वेतन	16,70,000 (रूपये सोलह लाख सत्तर हजार मात्र)
2	027	2070001060301 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	6,00,000 (रूपये छह लाख मात्र)
3	027	2070001060301 सामान्य	04 यात्रा व्यय	10,000 (रूपये दस हजार मात्र)
4	027	2070001060301 सामान्य	07 मानदेय	10,000 (रूपये दस हजार मात्र)
5	027	2070001060301 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	10,000 (रूपये दस हजार मात्र)
6	027	2070001060301 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	95,000 (रूपये पंचानबे हजार मात्र)
7	027	2070001060301 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	90,000 (रूपये नब्बे हजार मात्र)
कुल				24,85,000 (रूपये चौबीस लाख पचासी हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231-/2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजन शुक्ला

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या -02/2022/130/002-83-1002-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन। (03 प्रतियों में)

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजन शुक्ला

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in